खेलापित विलोपित

(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

नि-2804/2018/अनूपपुर/भू.रा.

राधाबाई पुत्री नत्थु राठौर, निवासी–ग्राम पपरौड़ी थाना व तहसील जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--आवेदिका

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन,
2. अहिल्याबाई पुत्री छोटेलाल, निवासी–ग्राम पपरौड़ी थाना व तहसील जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--अनावेदकगण

विनोद भार्गव अधि०
प्रस्तुत दि० 7-5-18
प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 24-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 5/18

कार्यालय राजस्व निरीक्षक जैतहरी जिला अनूपपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 51/अ–12/2016–17 में पारित आदेश पारित दिनांक 20/07/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
07-05-2018

माननीय महोदय,

आवेदिका की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति 4.08
पृष्ठ क्र. 1 से 8
दिनांक 07-05-18
हस्ताक्षर व नाम

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 319/2 रकबा 0.421 हे. आवेदिका का स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, सर्वे क्रमांक 319/1 रकबा 0.421 हे. अनावेदक क्रमांक 2 के स्वत्व की भूमि है एवं खसरा क्रमांक 319/3 रकबा 0.842 एकड़ देवलाल राठौर के स्वत्व की भूमि है।

2. यहकि, अनावेदिका क्रमांक 2 द्वारा त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 319/1 का सीमांकन कराया गया जिसमें अहिल्याबाई के स्वत्व की भूमि 319/1 में से 0.421 हे. के स्थान पर 0.480 हे. कर दिया गया एवं आवेदिका के के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2804/2018/अनूपपुर/भू.रा.   राधाबाई विंरूद्ध शासन व अहिल्याबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक जैतहरी के प्रकरण क्रमांक 51/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6.3.2019 (आर.के. जैन) सदस्य	